झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

संकल्प

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद द्वारा झारखण्ड सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्त्ती की पद्धति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

झारखण्ड सूचना सेवा भर्ती नियमावली – 2007

अध्याय – 1

प्रारंभिक

2. संक्षिप्त नाम एवं पदनाम :–
   (i) यह नियमावली झारखण्ड सूचना सेवा भर्ती नियमावली– 2007 कहलाएगी।
   (ii) यह पत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :– इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–
   (i) "सम्वर्ग"से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के पद या बल।
   (ii) "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग।
   (iii) "सेवा" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सूचना सेवा।

3. सेवा का गठन :– "झारखण्ड सूचना सेवा" नाम से सेवा का गठन किया जाएगा। नियमावली 1955 के नियम 18 के प्रयोजनार्थ यह राज्य सेवा समझी जाएगी।

4. सम्वर्ग की संरचना :– यह सम्वर्ग सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड के प्रशासी नियंत्रण में होगा। इसके विभागाध्यक्ष सचिव होंगे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के होंगे तथा निदेशक का पद गैर सम्वर्गीय होगा।

   (i) सम्वर्ग का वर्गीकरण :– विभिन्न स्तरों पर पदों का विवरण निम्नप्रकार होगा :–

पदनाम	पदों की संख्या
निदेशक (गैर सम्वर्गीय)	01
संयुक्त निदेशक मुख्यालय में	03
उप निदेशक, राजभवन	01
उप निदेशक, मुख्यमंत्री सचिवालय	01
उप निदेशक, नई दिल्ली सूचना केन्द्र	01
उप निदेशक, मुख्यालय (प्रेस एवं प्रका0)	02

(24)

उप निदेशक, प्रमंडल	05
सहायक निदेशक, मुख्यालय	08
जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी	22

(i) राज्य सरकार समय–समय पर संवर्गीय बल का निर्धारण करेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सम्वर्ग के स्थाई/अस्थाई पदों की स्वीकृति दे सकेगी।

5– पद स्थिति :– झारखण्ड सूचना सेवा के सदस्य राजपत्रित होंगे।

6– भर्ती का श्रोत एवं प्रणाली :–

(i) (क) सीधी भर्ती मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) की कुल रिक्तियों का 75% झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से सीधी नियुक्ति द्वारा की जाएगी।

(ख) आयु सीमा तथा आरक्षण वहीं होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(ग) अपेक्षित योग्यता एवं अन्य अहर्ताएँ सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, अभियंत्रण, चिकित्सा अथवा पत्रकारिता में से किन्हीं एक में स्नातक होना अनिवार्य है।

(ii) प्रोन्नति द्वारा भर्ती :–

(क) बेसिक ग्रेड (मूल कोटि) की कुल रिक्ति का 25% पद निचली सेवा से प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।

(ख) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में कंडिका– 6 (i) ग में उल्लेखित अहर्ता एवं योग्यता रहेगी।

(ग) सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गई क्रमानुसार मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा।

(घ) सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त पदाधिकारियों की आपसी वरीयता रिक्ति पंचाग के आधार पर निर्धारित नियम के तहत की जाएगी।

(iii) परीक्ष्यमान की अवधि :– राज्य सरकार के अन्यथा निदेश नहीं रहने पर इस सेवा के लिए नव–नियुक्त सभी पदाधिकारी परीक्ष्यमान अवधि में रहेगें।

1. सीधी नियुक्ति वाले व्यक्तियों के लिए परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी।
2. प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के लिए परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष होगी।

(iv) सेवा संपुष्टि राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत की जायेगी।

(v) विभाग प्रत्येक वर्ष मूल कोटि के रिक्तियों के संबंध में आयोग को सूचित करेगा और आयोग सीधी भर्ती के लिए सफल उम्मीदवारों से जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तथा नियुक्ति के योग्य पाये जाएंगे, उन्हें योग्यतानुसार नियुक्ति की अनुशंसा करेगा।

(vi) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड सूचना सेवा की रिक्तियाँ, जो प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के आधार पर विभागीय पदाधिकारियों से भरी जाएगी के संबंध में उक्त विभाग के सचिव प्रत्येक वर्ष माह–दिसंबर तक राजस्व पर्षद को सूचित करेंगे।

7— <u>प्रोन्नति से नियुक्ति की प्रणाली</u> :—

(i) उप निदेशक वेतनमान– 10,000–15,200 एवं संयुक्त निदेशक वेतनमान 12,000–16,500 की प्रोन्नति राजस्व पर्षद द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा।

(ii) इस प्रसंग में राज्य सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश नहीं रहने पर भिन्न–भिन्न कोटि में प्रोन्नति / दक्षतावरोध पाने के लिए पदाधिकारियों की अनुसूची विभागीय पत्रांक– 355 दिनांक 8–7–87 में उल्लेखित विषय को पास करना अनिवार्य होगा।

8— <u>स्थानान्तरण / पदस्थापन</u> :—

कार्यपालिका नियमावली में स्थानान्तरण / पदस्थापन से संबंधित निर्गत परिपत्र के आलोक में झारखण्ड सूचना सेवा के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु निर्णय लिया जाएगा।

9 <u>अन्य सेवा शर्त्तें</u>:—

इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्तें तथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवा– निवृत्ति लाभ इत्यादि, जो कि नियमावली से आच्छादित नहीं है, या जो इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए इसी प्रकार की सेवा नियमावली में किए गये संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

10— <u>नियमावली में संशोधन</u> :—

राज्य सरकार नियमावली को विहित प्रक्रिया द्वारा संशोधित कर सके। प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्य रूप देने के लिए वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधान के प्रतिकूल न हों।

11. <u>प्रोन्नति के लिए कालावधि</u> :—

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के लिए निर्धारित कालावधि सूचना सेवा के पदाधिकारियों के लिए भी अनुमान्य होगा।

12. यह नियमावली बिहार विभाजन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य में सेवा आवंटित सूचना सेवा के सभी पदाधिकारियों पर भी लागू होगा।

(42)

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

Sukhdev Singh 12/03/07

सरकार के सचिव,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक – स्था० 171 /01 राँची/दिनांक – 12/3/07

प्रतिलिपि, महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Sukhdev Singh

सरकार के सचिव, 12/03/07

ज्ञापांक – स्था० 171 /01 राँची/दिनांक – 12/3/07

प्रतिलिपि, अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करावें।

Sukhdev Singh

सरकार के सचिव, 12/03/07

ज्ञापांक – स्था० 171 /01 राँची/दिनांक – 12/3/07

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Sukhdev Singh

सरकार के सचिव, 12/03/07